झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 02.02.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्षो से निर्माणाधीन है, इस जलापूर्ति योजना में विभाग एवं संवेदक की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर घपला किया गया था, जिसकी समेकित जाँच मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से कराने हेतु सरकार द्वारा अनुशंसा की गई थी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक- 2434, दिनांक- 02.12.2015 से पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को जाँच हेतु पत्र भी भेजा गया था, परन्तु इतने महीनों के बाद भी अभी तक ना तो जाँच प्रक्रिया पूर्ण हुई है, और ना ही उक्त जलापूर्ति योजना को चालू कराया गया है। जिसके कारण सरकार का करोड़ो रूपैये खर्च होने के बावजूद भी महागामा की जनता को पेयजल के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलम्ब चालू कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
02-	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन स0वि0स0	1- भारत सरकार द्वारा अधिनियमित मोटर यान अधिनियम- 1988 की धारा-213(4) के अर्धीन वाहनों के निबंधन पूर्व जाँच के आवश्यक प्रावधान करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी	परिवहन

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		वाहन का निबंधन प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी की जाँच के पूर्व नहीं किया जायेगा। इस हेतु मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान किये गये हैं। इसी अधिनियम के नियम- 62 (1) के अधीन प्रारूप-20 और 24 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि वाहनों के निबंधन के पूर्व फिटनेस का प्रमाण-पत्र वर्णित तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। 2- नियम-8 में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे प्राधिकारी वाहनों की जाँच कर निर्धारित शुल्क को वसूली कर सरकार को संसूचित करेंगे और तत्पश्चात् निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। 3- झारखण्ड में विगत 2013 से अधिनियम एवं नियम में वर्णित इन प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे व्यवसायिक वाहनों और लोक वाहनों की जाँच नहीं होने से दुर्घटना की सम्भावनायें बढ़ती चली जा रही हैं और जान-माल को व्यापक क्षति की भी सम्भावनायें बनी हुई है। अतः मोटर यान अधिनियम-1988 एवं तद्नुरूप केन्द्रीय मोटर यान नियमावली-1989 के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	सर्वश्री कुणाल षड़ंगी, जगरनाथ महतो एवं प्रो० स्टीफन मराण्डी स०वि०स०	झारखण्ड राज्य में इन दिनों WHO के ग्लोबल प्रतिवेदन के आधार पर टी०बी० रोग मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है साथ ही प्रत्येक तीन मिनट में एक उक्त मरीजों की मौत उक्त रोगों के कारण हो रही है। Revised National Tuber Cylosis Program के माध्यम से राज्य सरकार उक्त रोग की रोकथाम करने में अब तक असफल रही है क्योंकि राज्य के सभी अस्पतालों में लैब टैकनेशियन, सिनियर ट्रिमेन्ट सुपरवाईजर और सिनियर टी०बी० लैब सुपरवाईजर आदि जैसा कई महत्वपूर्ण पद रिक्त रहने के कारण उक्त रोगियों की जाँच व पर्यवेक्षण कार्य समुचित एवं सुचारू ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते है कि उक्त समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र हो ताकि टी०बी० रोग से राज्य के पीड़ित परिवारों को समुचित लाभ मिल सके।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
04-	श्री साधुचरण महतो एवं प्रो0 जयप्रकाश वर्मा स0वि0स0	सरायकेला-खरसावाँ जिले के स्वर्णरेखा परियोजना अन्तर्गत सतनाला बाँध निर्माण कार्य के एकरारनामा एवं ईचा दायी मुख्य नहर के 6.39 कि0मी0 से 20.07 कि0मी0 तक लाईनिंग कार्य के एकरारनामा का विचलन प्रस्ताव जल संसाधन विभाग में विगत 18 महीनों से लंबित है जबकि प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है परन्तु विचलन प्रस्ताव लंबित रहने से संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एकरारनामा में समय वृद्धि का प्रस्ताव भी लंबित है एवं खरकाई बराज के निर्माण से संबंधित एकरारनामा का समय वृद्धि का प्रस्ताव भी विगत 18 महीनों से विभाग में लंबित है। अतः उक्त दोनों विचलन प्रस्ताव को अविलंब स्वीकृति प्रदान करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	जल संसाधन

राँची,
दिनांक- 02 फ़रवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-...1202.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/02/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/परिवहन विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिरोज धर्जीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2017-...1202.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/02/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01.02.17